

पंजीकृत डाक द्वारा

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

वास्तुकला एवं नियोजन विभाग

मुख्य प्रशासनिक भवन, सेक्टर-6 नौएडा(उ०प्र०)

संख्या:-नौएडा/मु०वा०नि०/2022/III-259/ 1228

दिनांक: 14-12-2022

सेवा में,

मैसर्स जे०पी० इन्फ्राटेक लि०

सैक्टर-128, नौएडा

बिषय:- मै० जे०पी० इन्फ्राटेक लि० द्वारा सैक्टर-128,129,131,133 व 134 में विकसित की जा रही टॉऊनशिप योजना के अन्तर्गत नियोजित ग्रुप हाऊसिंग पॉकेट सं० बी-34ए, सैक्टर - 134, नौएडा के भवन मानचित्र के पुनर्वैधीकरण के सम्बन्ध में ।

कृपया आपके द्वारा सैक्टर-128,129,131,133 व 134 में विकसित की जा रही टॉऊनशिप योजना के अन्तर्गत नियोजित ग्रुप हाऊसिंग पॉकेट सं० बी-34ए सैक्टर - 134, नौएडा के प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्रों के पुनर्वैधीकरण हेतु आवेदन के आधार पर संदर्भित योजना के दिनांक 12.10.2012 को स्वीकृत मानचित्रों को दिनांक 24.01.2020 को पुनर्वैधीकृत किया गया है, जोकि 10.10.2022 तक के लिए अनुमन्य है। दिनांक 05.09.2022 को पुनः पुनर्वैधीकरण हेतु किये गये आवेदन के आधार पर 5 वर्ष (दिनांक 10.10.2022 से 09.10.2027 तक) हेतु पुनर्वैधीकरण किया जाता है।

कार्यदायी संस्था, कन्सेशन एग्रीमेंट एवं बिल्डर बायर एग्रीमेंट के प्रावधानों के अनुसार योजना को निर्धारित अवधि में पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। पुनर्वैधीकरण मानचित्र में दर्शित वैद्यता समय किसी भी स्थिति में कन्सेशन एग्रीमेंट की शर्तों को प्रभावित नहीं करता है।

ग्रुप हाऊसिंग पॉकेट सं० बी-34ए सैक्टर - 134, का क्षेत्रफल	= 26,428.27 वर्ग मी०
कुल स्वीकृत एफ.ए.आर.	= 1,12,407.13 वर्ग मी०
कुल स्वीकृत तहखाना क्षेत्रफल (नॉन एफ.ए.आर.)	= 43,726.42 वर्ग मी०
कुल स्वीकृत सेवा क्षेत्रफल (नॉन एफ.ए.आर.)	= 8,628.84 वर्ग मी०
कुल स्वीकृत क्षेत्रफल(एफ०ए०आर०+नॉन एफ०ए०आर०)	= 1,64,762.39 वर्ग मी०

योजना में कुल अधिभोग निर्गत क्षेत्रफल

निर्मित एफ०ए०आर० क्षेत्रफल	= 33,917.288 वर्ग मी०
निर्मित प्रथम तहखाना क्षेत्रफल (नॉन एफ०ए०आर०)	= 8,007.02 वर्ग मी०
निर्मित द्वितीय तहखाना क्षेत्रफल (नॉन एफ०ए०आर०)	= 8,007.02 वर्ग मी०
निर्मित तृतीय तहखाना क्षेत्रफल (नॉन एफ०ए०आर०)	= 1,427.40 वर्ग मी०
निर्मित सेवा क्षेत्रफल (नॉन एफ०ए०आर०)	= 2,483.40 वर्ग मी०
कुल अधिभोग निर्गत क्षेत्रफल(एफ०ए०आर० + नॉन एफ०ए०आर०)	= 53,842.128 वर्ग मी०

पुनर्वैधीकरण हेतु क्षेत्रफल

शेष एफ०ए०आर० क्षेत्रफल	= 78,489.842 वर्ग मी०
शेष प्रथम तहखाना क्षेत्रफल (नॉन एफ०ए०आर०)	= 10,840.62 वर्ग मी०
शेष द्वितीय तहखाना क्षेत्रफल (नॉन एफ०ए०आर०)	= 10,873.05 वर्ग मी०
शेष तृतीय तहखाना क्षेत्रफल (नॉन एफ०ए०आर०)	= 4,571.31 वर्ग मी०
शेष सेवा क्षेत्रफल (नॉन एफ०ए०आर०)	= 6,145.44 वर्ग मी०
कुल पुनर्वैधीकृत क्षेत्रफल(एफ०ए०आर० + नॉन एफ०ए०आर०)	= 1,10,920.262 वर्ग मी०

नियम व शर्तें:-

1. संदर्भित ग्रुप हाऊसिंग पॉकेट की भवन मानचित्र की स्वीकृति पत्र दिनांक 12.10.2012 में उल्लिखित शर्तें यथावत रहेगी।
 2. योजना में 64.70 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर की देयता के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-25579/2021 में जो भी अंतिम निर्णय पारित होगा, वह कार्यदायी संस्था को मान्य होगा।
 3. कार्यालय आदेश दिनांक 15.09.2022 के अनुसार कार्यदायी संस्था के स्वयं के द्वारा विकसित की जा रही योजनाओं में अनुमन्य समयवृद्धि दिनांक 31.12.2025 तक निःशुल्क प्रदान की गयी है। उक्त तिथि के उपरान्त प्राधिकरण की प्रचलित नीति के अनुसार नियमानुसार समयवृद्धि शुल्क देय होगा।
 4. कार्यदायी संस्था को परिसर के अन्दर ही कूड़ा एवं ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु कूड़ा एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन प्लान्ट स्थापित करना होगा।
 5. उ0प्र0 रियल स्टेट रेग्युलेट्री एक्ट-2016, पर्यावरण विभाग / माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण/माननीय न्यायालय/उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय तथा अन्य सम्बन्धित राज्य व केन्द्र सरकार के समय-समय पर लागू होने वाले सभी अधिनियमों एवं उसके अन्तर्गत नियमों / विनियमों/निर्देशों/आदेशों आदि (अध्यावधिक यथा संशोधित एवं प्रभावी) का अनुपालन कार्यदायी संस्था/पट्टा धारक/उप पट्टा धारक पर बाध्यकारी होगा।
 6. प्राधिकरण द्वारा सैक्टर-128,129,131,133 व 134 का दिनांक 20.02.2015 को स्वीकृत पुनरीक्षित भू-विन्यास मानचित्र में उल्लेखित शर्तों का पालन करना होगा।
 7. इलेक्ट्रीक वाहन चार्जिंग की व्यवस्था कार्यदायी संस्था को परिसर के अंदर करना होगा।
- संलग्न:- पुनर्वैधीकरण मानचित्र की प्रति।
- प्रतिलिपि: तहसीलदार, (भूलेख) को सूचनार्थ।

भवदीय,



नाम

पद

नौएडा

(इशतियाक अहमद)
महाप्रबन्धक (नियोजन)
नौएडा

पञ्जीकृत डाक द्वारा

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

वास्तुकला एवं नियोजन विभाग

मुख्य प्रशासनिक भवन, सेक्टर-6 नौएडा(उ0प्र0)

संख्या:-नौएडा/मु0वा0नि0/2020/III-259/ ०७

दिनांक: 24-1-20

सेवा में,

मैसर्स जे0पी0 इन्फ्राटेक लि0

सैक्टर-128, नौएडा

विषय:- मै0 जे0पी0 इन्फ्राटेक लि0 द्वारा सैक्टर-128,129,131,133 व 134 में विकसित की जा रही टॉऊनशिप योजना के अन्तर्गत नियोजित ग्रुप हाऊसिंग पॉकेट सं0 बी-34ए, सैक्टर - 134, नौएडा के भवन मानचित्र के पुर्नवैधीकरण के सम्बन्ध में ।

कृपया आपके द्वारा सैक्टर-128,129,131,133 व 134 में विकसित की जा रही टॉऊनशिप योजना के अन्तर्गत नियोजित ग्रुप हाऊसिंग पॉकेट सं0 बी-34ए सैक्टर - 134, नौएडा के प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्रों के पुर्नवैधीकरण हेतु आवेदन के साथ पुर्नवैधीकरण शुल्क का लेखा विभाग द्वारा सत्यापन के आधार पर संदर्भित योजना के दिनांक 12.10.2012 को स्वीकृत मानचित्रों को पुर्नवैधीकृत किया जाता है । पुर्नवैधीकृत मानचित्रों की अधिकतम **वैद्यता -5 वर्ष** दिनांक 11.10.2017 से 10.10.2022 तक के लिए अनुमन्य होगी ।

कार्यदायी संस्था, कन्सेशन एग्रीमेंट एवं बिल्डर बायर एग्रीमेंट के प्रावधानों के अनुसार योजना को निर्धारित अवधि में पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। पुर्नवैधीकृत मानचित्र में दर्शित वैद्यता समय किसी भी स्थिति में कन्सेशन एग्रीमेंट की शर्तों को प्रभावित नहीं करता है।

ग्रुप हाऊसिंग पॉकेट सं0 बी-34ए सैक्टर - 134, का क्षेत्रफल	= 1,64,762.39 वर्ग मी0
कुल स्वीकृत एफ.ए.आर.	= 1,12,407.13 वर्ग मी0
कुल स्वीकृत तहखाना क्षेत्रफल (नॉन एफ.ए.आर.)	= 43726.42 वर्ग मी0
कुल स्वीकृत सेवा क्षेत्रफल (नॉन एफ.ए.आर.)	= 8,628.84 वर्ग मी0
कुल स्वीकृत क्षेत्रफल(एफ0ए0आर0+नॉन एफ0ए0आर0)	= 1,64,762.39 वर्ग मी0

योजना में कुल अधिभोग निर्गत क्षेत्रफल

निर्मित एफ0ए0आर0 क्षेत्रफल	= 33,917.288 वर्ग मी0
निर्मित प्रथम तहखाना क्षेत्रफल (नॉन एफ0ए0आर0)	= 8,007.02 वर्ग मी0
निर्मित द्वितीय तहखाना क्षेत्रफल (नॉन एफ0ए0आर0)	= 8,007.02 वर्ग मी0
निर्मित तृतीय तहखाना क्षेत्रफल (नॉन एफ0ए0आर0)	= 1,427.40 वर्ग मी0
निर्मित सेवा क्षेत्रफल (नॉन एफ0ए0आर0)	= 2,483.40 वर्ग मी0
कुल अधिभोग निर्गत क्षेत्रफल(एफ0ए0आर0 + नॉन एफ0ए0आर0)	= 53,842.128 वर्ग मी0

पुर्नवैधीकरण हेतु क्षेत्रफल

शेष एफ0ए0आर0 क्षेत्रफल	= 78,489.842 वर्ग मी0
शेष प्रथम तहखाना क्षेत्रफल (नॉन एफ0ए0आर0)	= 10,840.62 वर्ग मी0
शेष द्वितीय तहखाना क्षेत्रफल (नॉन एफ0ए0आर0)	= 10,873.05 वर्ग मी0
शेष तृतीय तहखाना क्षेत्रफल (नॉन एफ0ए0आर0)	= 4,571.31 वर्ग मी0
शेष सेवा क्षेत्रफल (नॉन एफ0ए0आर0)	= 6,145.44 वर्ग मी0
कुल पुर्नवैधीकृत क्षेत्रफल(एफ0ए0आर0 + नॉन एफ0ए0आर0)	= 1,10,920.262 वर्ग मी0

नियम व शर्तें:-

1. संदर्भित ग्रुप हाऊसिंग पॉकेट की भवन मानचित्र की स्वीकृति पत्र दिनांक 12.10.2012 में उल्लिखित शर्तें यथावत रहेगी।
2. योजना में 64.70% की अतिरिक्त प्रतिकर की देयता अधिभोग प्रमाण पत्र के आवेदन के समय नियमानुसार जमा कराना होगा।
3. सन्दर्भित योजना में कार्यदायी संस्था को समय वृद्धि के सम्बन्ध में नौएडा प्राधिकरण एवं यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का निर्णय मान्य होगा तथा इससे बायर्स बिल्डर एग्रीमेंट प्रभावित नहीं होगा।
4. कार्यदायी संस्था को परिसर के अन्दर ही कूड़ा एवं ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु कूड़ा एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन प्लान्ट स्थापित करना होगा।
5. उ0प्र0 रियल स्टेट रेग्युलेट्री एक्ट-2016, पर्यावरण विभाग / माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण/माननीय न्यायालय/उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय तथा अन्य सम्बन्धित राज्य व केन्द्र सरकार के समय-समय पर लागू होने वाले सभी अधिनियमों एवं उसके अन्तर्गत नियमों / विनियमों/निर्देशों/आदेशों आदि (अध्यावधिक यथा संशोधित एवं प्रभावी) का अनुपालन कार्यदायी संस्था/पट्टा धारक/उप पट्टा धारक पर बाध्यकारी होगा।

संलग्न:- पुर्नवैद्यीकरण मानचित्र की प्रति।

प्रतिलिपि: तहसीलदार, (भूलेख) को सूचनार्थ।

Map for proposed Building is as per Bye
Laws. Submitted for approval please.

  
Asst. Arch. Architect

भवदीय,

नाम
पद
(एस० सी० गौड)
महाप्रबन्धक-नियोजन
नौएडा

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

वास्तुकला एवं नियोजन विभाग

मुख्य प्रशासनिक भवन सेक्टर-6 नोएडा(उ0प्र0)

संख्या नोएडा/मु0वा0नि0/ III - 259/.....576

दिनांक: 12-10-2012

सेवा में,

मैसर्स जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड

सेक्टर : 128

नोएडा

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 27.09.2012 संदर्भ में आपके द्वारा यमुना एक्सप्रेसवे (पुराना नाम ताज एक्सप्रेसवे) के अन्तर्गत निष्पादित कन्सेशन एग्रीमेंट के प्राविधानों के तहत पाकेट सं0 बी - 34ए (Klassic), सैक्टर - 134, नोएडा में हस्तान्तरित भूमि पर टाऊनशिप विकसित करने के लिए निर्धारित आवासीय उपयोग हेतु भूमि पर प्रस्तावित गुप हाऊसिंग के भवन निर्माण की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है:-

1. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष (निर्माण अवधि होने की दशा में) तक वैध है।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृति से इस भूखण्ड से सम्बन्धित किसी भी शासकीय निकाय जैसे (नगरपालिका, नोएडा प्राधिकरण) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित (एफेक्टेड) नहीं माना जायेगा।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय माँगा जायेगा तो वह किसी बिना आपत्ति के देय होगा।
5. दरवाजे व खिडकियाँ इस तरह से लगाये जायेंगे कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी भूमि या सड़क की ओर बढाव (प्रोजेक्टेड) न हों।
6. विजली की लाईन से पाँच फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य न किया जायेगा।
7. कार्यदायी संस्था द्वारा भवन सामग्री भूखण्ड के सामने रखने से सड़क पर यातायात अवरुद्ध नहीं होना चाहिए।
8. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों के स्पेसीफिकेशन नोएडा भवन नियमावली के नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा। कार्यदायी संस्था तहखाने का निर्माण कार्य पूरा करने के उपरान्त तहखाने का भवन प्रकोष्ठ विभाग नोएडा द्वारा निरीक्षण कराने के बाद ही भूतल का निर्माण कार्य शुरू करेगा। अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
9. कार्यदायी संस्था मेजेनाइन तल/अन्य तल का स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण करायेगा अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
10. सड़क पर अथवा बैंक लेन में कोई रेम्प अथवा स्टैप्स नहीं बनाये जायेंगे। वह कार्य अपनी ही भूमि पर करें।
11. कार्यदायी संस्था द्वारा जल एवं मल की निकासी की व्यवस्था नोएडा प्राधिकरण के प्ररियोजना अभियन्ता के साथ समन्वय करने एवं निरीक्षण के उपरान्त ही संस्था उसे ढकेगी।
12. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा बशर्ते संस्था को पट्टे के अधिकार उपलब्ध हों अथवा उसको पुर्नजीवित करा लिया हो। पट्टे के अधिकार उपलब्ध/पुनर्जीवित न होने की दशा में मानचित्र की वैधता, पट्टे की वैधता तिथि तक समझा जायेगा।
13. कार्यदायी संस्था को अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करते समय सम्बन्धित विभाग से नियमानुसार समयवृद्धि पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
14. कार्यदायी संस्था निर्माण कार्य शुरू करने के बाद तहखाने की छत डालने से पूर्व कुर्सी तल पर एवं भूतल की छत डालने से पूर्व भवन प्रकोष्ठ नोएडा द्वारा भवन का निरीक्षण अवश्य करायेगा।
15. कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्नगत योजना की सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र दिनांक 23.03.11 में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन करना होगा।
16. उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (Promotion of Construction, ownership & Maintenance) एक्ट, 2010; तथा इसके अधीन जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

17. सन्दर्भित योजना में भूजल की अनधिकृत निकासी एवं दुरुपयोग नहीं किया जायेगा एवं प्रश्नगत क्षेत्र की हाईड्रोलोजी के दृष्टिगत रेनवाटर हार्वेस्टिंग/भू-जल दोहन की व्यवस्था केन्द्रीय भू-जल परिषद अथवा उत्तर प्रदेश भू-जल विभाग के प्राविधानों के अन्तर्गत करना होगा।

स्वीकृत मानचित्र इस पत्र के साथ सलंगन है भवन कार्य मानचित्र की वैधता तिथि के अन्दर पूरा होने के उपरान्त अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र देना होगा तथा बिना आज्ञा व अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त किये भवन को प्रयोग में नहीं ले सकते हैं।

कन्सेशन एग्रीमेन्ट के तहत टाउनशिप विकसित करने हेतु सैक्टर-128, 129, 131, 133 एवं 134 में हस्तान्तरित भूमि का विवरण निम्नवत है:-

Sl. No.	LAND USE DESTRICTION	AREA (ACRES)	%age
1.	RESIDENTIAL	603.27	58.60
2.	COMMERCIAL	21.53	2.09
3.	INSTITUTIONAL & COMMUNITY FACILITIES	105.56	10.25
•	COMMUNITY FACILITIES	20.81	2.02
•	HEALTH	26.34	2.56
•	INSTITUTIONAL	58.41	5.67
4.	RECREATIONAL	154.43	15.00
5.	ROADS AND TRANSPORATION	144.75	14.06
TOTAL LAND UNDER MASTER PLAN RESIDENTIAL ZONE		1029.55	100.00
TOTAL LAND UNDER MASTER PLAN COMMERCIAL IN SECTOR-129		43.29	
TOTAL LAND AREA		1072.84	

कन्सेशन एग्रीमेन्ट के तहत टाउनशिप विकसित करने हेतु सैक्टर-151 में हस्तान्तरित भूमि का विवरण निम्नवत है:-

Sl. No.	LAND USE DESTRICTION	AREA (ACRES)	%age
1.	Roads and Transportation	7.809	12.00
2.	Recreational Green	9.762	15.00
3.	Commercial	2.603	4.00
4.	Institutional/Facilities	8.421	12.94
5.	Residential	36.485	56.06
Total		65.08 Acres or 26.35 Hectares	100%

कार्यदायी संस्था को सम्पूर्ण योजना में कुल हस्तान्तरित भूमि $1072.84 + 65.08 = 1137.92$ एकड.

(46,05,100.00 वर्ग मी0)

- कन्सेशन एग्रीमेन्ट के तहत कुल हस्तान्तरित भूमि (1137.92 एकड = 46,05,100 वर्ग मी0)
पर अधिकतम अनुमन्य एफ.ए.आर. @ 1.5
= 69,07,650.00 वर्ग मी0
- योजना (सैक्टर-128, 129, 131, 133 एवं 134)
आवासीय उपयोग हेतु कुल निर्धारित भूमि का क्षेत्रफल
= 24,41,347.073 वर्ग मी0
(603.27 एकड.)
- अनुमन्य भू-आच्छादित क्षेत्रफल @ 40%
(वर्तमान में प्रचलित भवन विनियमावली के अनुसार)
= 9,76,538.820 वर्ग मी0
- अनुमन्य एफ.ए.आर. (आवासीय उपयोग हेतु निर्धारित
भूमि 603.27 एकड.) के सापेक्ष में अधिकतम अनुमन्य
एफ.ए.आर. @ 2.0 (प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक
11.08.08 में लिए गये के अनुरूप
= 48,82,694.146 वर्ग मी0

- अनुमन्य ऊँचाई = कोई सीमा नहीं
- पाकेट सं० बी 34 A के लिए प्रस्तावित ऊँचाई = 68.550 मीटर

पाकेट सं० बी - 34 A के लिए विभिन्न तलों पर किये गये प्रस्तावित क्षेत्रफल का तलवार विवरण निम्नानुसार है:-

तल	प्रस्तावित क्षेत्रफल पाकेट सं० बी - 34A (वर्ग मी०)
भूतल	6501.43
प्रथम तल	5995.38
द्वितीय तल	5481.40
तृतीय तल	5360.68
चर्तुथ तल	5360.68
पंचम तल	5360.68
छटवां तल	5360.68
सातवां तल	5360.68
आठवां तल	5360.68
नौवा तल	5360.68
दसवां तल	5360.68
ग्यारहवां तल	5360.68
बारवां तल	5360.68
तेरहवां तल	5360.68
चौदहवांतल	5360.68
पन्द्रहवां तल	5360.68
सोलवां तल	5360.68
सत्रहवां तल	5360.68
अट्ठारवां तल	3504.68
उन्नीसवां तल	3504.68
बीसवां तल	3504.68
इक्कीसवां तल	3504.68
कुल एफ.ए.आर.	112407.13
तहखाना	
तहखाना : प्रथम	18847.64
तहखाना : द्वितीय	18880.07
तहखाना : तृतीय	5998.71
कुल क्षेत्रफल	43726.42
सेवा क्षेत्रफल	8628.84
कुल क्षेत्रफल (तहखाना एवं सेवा सहित)	164762.39

एफ0ए0आर0 विवरण-

Sl. No.	Description	Land Use	Date of Approval	Approved FAR (Sqm.) by NOIDA till date	Comm. Approved FAR area (Sqm.)	Revised FAR	Balance FAR (Sqm.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Primary School	I-3/1	Institutional	24.11.08	10026.23	10026.230	68,97,623.77
2	Secondary School	I-2/1	Institutional	24.11.08	14006.13	24032.360	68,83,617.64
3	Group Housing Kalypso & Imperial Tower	B1/B2/B3	Residential	24.03.09	323628.295	347660.655	65,59,989.345
4	Group Housing (PH-1, PH-2, PH-3, PH-4, PT-1, PT-2, TH-1 & TH-2)	B4	Residential	29.10.09	253144.64	600805.295	63,06,844.705
5	Group Housing (Revise)	B1, B2, B3	Residential	11.10.11	(323628.295)	620789.370	343612.373 (19984.075)
6	Group Housing Aman	151	Residential	20.10.11	324587.222	945376.592	59,62,273.405
7	Group Housing Kosmos	B-35, 36, 37, 38, 41B & 43	Residential	01.11.11	7,53,831.85	16,99,208.44	52,08,441.555
8	Primary School revised	I-3/1	Institutional	18.11.11	(10026.23)	1702188.71	13006.50 (2980.27)
9	Secondary School (Revise)	I-2/1	Institutional	18.11.11	(14006.13)	1707310.55	19127.97 (5121.84)
10	Group Hosing Klassic	B-39 and B-40	Residential	25.11.11	110584.39	1817894.94	5089755.055
11	Group Hosing Klassic IB & ONGC	B-45	Residential	19.01.12	88255.377	1906150.317	5001499.678
12	Group Hosing Knight Court	B-5	Residential	19.01.12	70085.67	1976235.987	4931414.008
13	Group Hosing Klassic	B-41A and B-42	Residential	2.3.12	153121.255	2129357.242	4778292.753
14	Group Hosing Kensington Park & Boulevard	B-12, 13, 14, 15, 16, 17 & 18	Residential	26.03.12	500017.74	2629374.982	4278275.013
15	Group Hosing Klassic Heights	B-34A	Residential		112407.13	2741782.112	4165867.883
					2741782.112		

प्रस्तावित भू-आच्छादन क्षेत्रफल = 7127.30 वर्ग मी0

प्रस्तावित एफ0ए0आर0 = 11,2407.13 वर्ग मी0

Map for proposed Building is as per City Laws. Submitted for approval please.

Asstt. Arch. Architect

प्रतिलिपि:

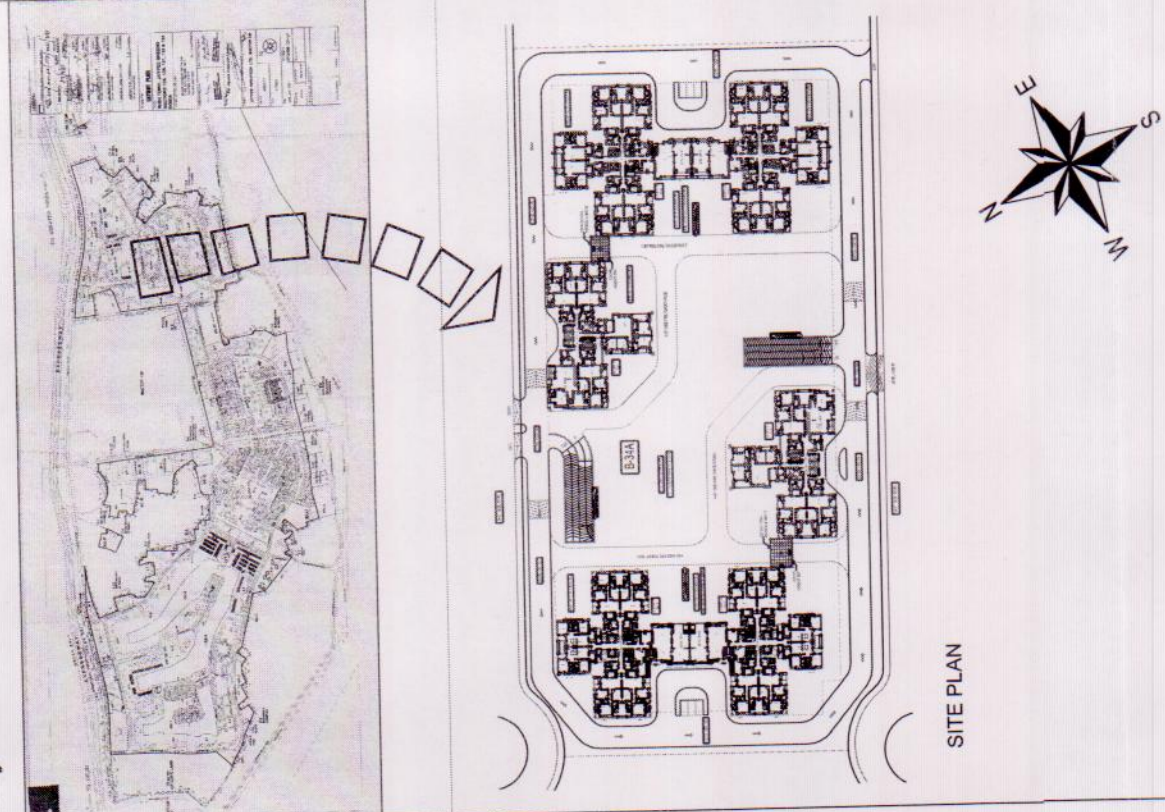
- मुख्य अनुरक्षण अभियन्ता, नौएडा को सादर सूचनार्थ ।
- तहसीलदार (ए), नौएडा को सूचनार्थ ।
- मैसर्स जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड की नियोजन विभाग की मास्टर फाइल में रिकार्ड update करने हेतु ।

नाम..... पद.....

नौएडा
नियोजन विभाग

12/10

Key Plan:



NOTE :-

Architect's Signature

Sandeep Sharma, Architect
Council of Architecture
Registration No. CA / 2006/38193

Owners' Signature

For Jaypee Infratech Limited

Authorised Signatory

Architects & Town Planners

ARCOP ASSOCIATES Pvt
E-106, G.K.ENCLAVE Part
New Delhi-110 049
Ph : 011-26242050 Fax:

OWNER:

JAYPEE INFRA TECH LTD
SECTOR - 128, NOIDA (U.P.)

Drawing Title	Map for proposed Building is as per Bye Laws. Submitted for approval please.

SITE PLAN

Job Title

**BUILDING SUBMISSION FOR
(KLASSIC HEIGHTS B-34A)
JAYBEE GREENS SECTOR 134, NOIDA, U.P.**

Scale	Job No.
-------	---------

	Drawing No.
--	-------------

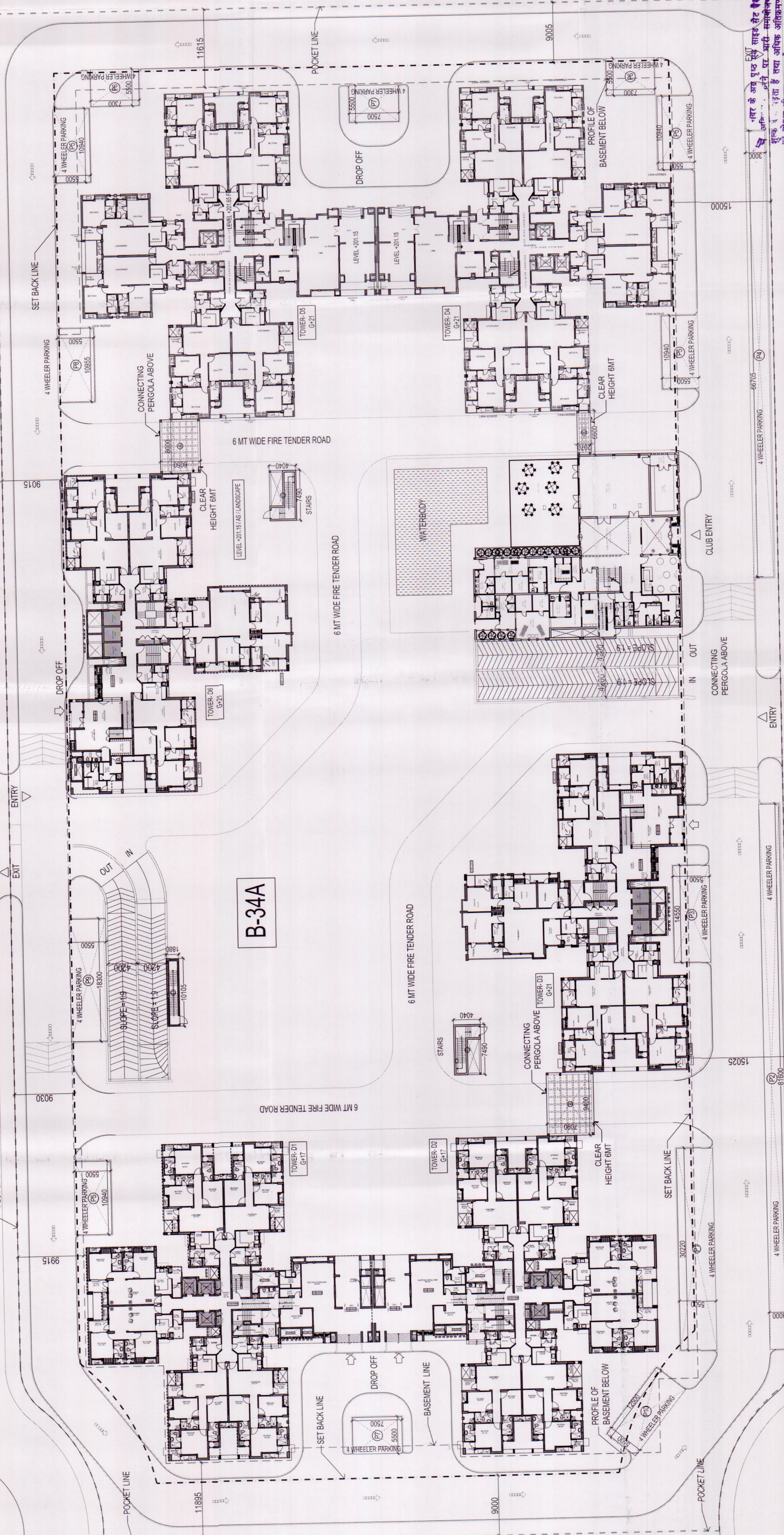
Checked by _____ Revision No. _____

SUNDER

NOIDA AUTHORITY:

Associate Architect

Architect



नगर के अग्र पृष्ठ में साइड सैट है
अनि... प्रेरी समकोण
शुल्क वे... डूटा है तथा अधिक अतिक्रमण
को तोड़ना भी पड़ सकता है। अतः स्वीकृत
मानचित्र के अनुसार ही निर्माण करे, अति-
क्रमण न करे।

अधिन कर ।
Encroachments on front, Rear & Side
setbacks invite heavy penalties. Encro
ciments could be demolished also Please
avoid encroachments construct building
as per Sanctioned Map.

भवन प्रकोष्ठ

मौतः 1. यह मानचित्र स्वीकृत की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा बतते पर्यंत का पट्टे के अधिकार उपलब्ध हो अथवा उतने पूर्ण अवधि कर लिए हो । पट्टे के अधिकार उपलब्ध पुनर्जीवित न होने की दशा में मानचित्र की शैल्य पट्टे की वैधता स्थिति तक ही समझी जाएगी ।

AREA STATEMENT OF CONNECTING PERGOLA (B-34A)

S.NO.	BREADTH (M)	LENGTH (M)	NOS.	AREA SQ.MT.
ADDITIONS (A)				
A	8000	6050	(2) आरटी को जलियां पानी भरने वाले सिंक 48 मीटरक पट्टा काप करके 2000 मीटरक पट्टा काप करके 68.85	
B	9400	7090		
E	5600	2070	1	13.66
			(A)	128.71

GROUND COVERAGE AREA OF SITE

FINE STRINGS (continued)				AREA SQ. IN.
S.NO.	BREADTH (M)	LENGTH (M)	NOS.	
ADDITIONS (A)				
C	7490	4040	2	60.52
D	10105	1880	1	19.00
				79.52

AREA STATEMENT FOR SURFACE PARKING (B-34A)					AREA SQ.MT.
S.NO.	BREADTH (M)	LENGTH (M)	NOS.		
ADDITIONS (A)					
P1	30220	5500	1		166.21
P2	81600	3000	1		244.80
P3	14550	5500	1		80.03
P4	68705	3000	1		200.12
P5	10940	5500	4		240.68
P6	7300	5500	2		80.30
P7	7500	5500	2		82.50
P8	10955	5500	1		60.25
P9	18300	5500	1		100.65
P10	12500	5500	1		68.75
					1374.28
NO. OF CARS ON SURFACE @ 20 ECS					66

